न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 204/2017/225 आर टी ए

1. नसीबकौर पत्नि सुखमसिंह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गुरजन्ट सिंह पुत्र सुखमसिंह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. जगतारसिंह पुत्र सुखमसिंह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. जलन्धर सिंह पुत्र सुखमसिंह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट

बनाम

1. राजमन्द्रसिंह पुत्र स्व. रणजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. नक्षत्रसिंह पुत्र राजमन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. नाजमसिंह पुत्र राजमन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. कुलविन्द्र कौर पत्नि स्व. गुरदास पुत्र स्व. रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. उदयसिंह पुत्र गुरदास सिंह पुत्र स्व. रणजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. रमनदीप सिंह पुत्र गुरदास सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिह जाति जटसिख निवासी चक सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

7. सुखवीरकौर पुत्री रणजीत सिंह पत्नि गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी लोहगढ़ तहसील डबवाली जिला सिरसा।

8. तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— असल रेस्पोडैन्टस

9. गुरविन्द्र कौर पुत्री स्व सुखमसिंह पत्नि बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 36 एफ श्रीकणपुर जिला श्रीगंगानगर।

—— तरतीबी रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र0सं0 /2017 अनवानी नसीबकौर आदि बनाम राजमन्द्रसिंह आदि

उपस्थित :—

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री बलविन्द्रसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 7

निर्णय दिनांकः—28.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारो की घोषणा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 7 अपीलांट को घरूबंटवारा मे प्राप्त भूमि चक 4 एलजीडब्ल्यू बी के प.न. 43/291 मु.न. 27 के कि.न. 1 ता 25 व प.न. 42/291 मु.न. 28 कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 व चक 6 एलजीडब्ल्यू के प.न. 39/287 मु.न. 28 कि.न. 1 ता 25 तथा चक 7 एलजीडब्ल्यू ए के प.न. 39/287 मु.न. 28 के कि.न. 1 ता 25 कुल 90 बीघा मे अपीलांट के कब्जा काश्त मे हस्तक्षेप कर रहे है। अतः उन्हे अपीलांट के कब्जा

काश्त मे हस्तक्षेप करने व जबरन बेदखल करने से निषिद्ध फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.06.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांट के याचित अनुतोष के संबंध मे कोई आदेश पारित न कर अपीलांट को घरूबंटवारा मे प्राप्त भूमि मे से चक 4 एलजीडब्ल्यू बी व चक 6 एलजीडब्ल्यू मे स्थित भूमि की सीमा तक सिर्फ रहन बैय न करने तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का ही आदेश पारित किया है। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली कब्जा की पुष्ट साक्ष्य होने के बावजूद कब्जा के संबंध मे अनुतोष प्रदत नही किये जाने के कारण इस सीमा तक उपांतरित किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने घरूबंटवारा के अनुसार अपीलांट के कब्जा काश्त के संबंध मे प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य को नजरअंदाज कर अपीलांट का प्रथम दृष्टया मामला न मानने मे भूल की है। अपीलांट की ओर से कब्जा काश्त के संबंध मे प्रस्तुत शुद्धकार खसरा गिरदावरी सिंचाई विभाग एक सुसंगत दस्तावेज है तथा साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कब्जा के तथ्य को सिद्ध करने के लिये राजस्व रिकार्ड का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन दस्तावेजो पर कोई विचार नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे याचित अनुतोष की ओर ध्यान न देकर सिर्फ बैय व मुन्तकिल तथा राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने का आदेश देकर अनुचित आदेश पारित किया है। मौका की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जाना प्रकरण की परिस्थितियों मे न्यायोचित था। अधिवक्ता

अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे डीएनजे 2014(1) पेज 35, आरआरडी 1985 पेज 351, ऐआईआर 2000 पेज 3032, डीएनजे 2015(1) पेज 81 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मे अपीलांट को एकपक्षीय सुना जाकर वादग्रस्त भूमि चक 4 एलजीडब्ल्यू बी व चक 6 एलजीडब्ल्यू मे प्रार्थीगण की हिस्से तक की कृषि भूमि को रहन, बैय न करने तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश दिया गया। अपीलांट को जितना स्थगन आदेश दिया जा सकता था उतना दे दिया गया। उक्त स्थगन आदेश आगामी सुनवाई तारीख तक अन्तरिम स्थगन आदेश है। इसके उपरांत दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने के उपरांत विधिनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना आपेक्षित है। अपीलांट अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही सकते है। क्योंकि उक्त अपीलाधीन आदेश अन्तिम आदेश नही है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे एआईआर 1989 पेज 133, आरआरटी 2014(1) पेज 409, डीएनजे 2016 पेज 63, आरएलडब्ल्यू 1998(1) पेज 54, आरआरटी 2014–15 पेज 59, आरएलआर 2002 (2) पेज 751 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट द्वारा रेस्पो0 सं. 1 ता 7 के विरूद्ध अपीलांट को घरूबंटवारा मे प्राप्त भूमि चक 4 एलजीडब्ल्यू बी के प. न. 43/291 मु.न. 27 के कि.न. 1 ता 25 व प.न. 42/291 मु.न. 28 कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 व चक 6 एलजीडब्ल्यू के प.न. 39/287 मु.न. 28 कि.न. 1 ता 25 तथा चक 7 एलजीडब्ल्यू ए के प.न. 39/287 मु.न. 28 के कि. न. 1 ता 25 कुल 90 बीघा मे अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि मे हस्तक्षेप नही करने तथा इस भूमि मे से अपीलांट को जबरन बेदखल करने से निषिद्ध बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 4 एलजीडब्ल्यू बी के प.न. 43/291 के कि.न. 1 ता 25 व प.न. 42/291 कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मय गैर मुमकिन कुल तादादी 9.805 है0 व चक 6 एलजीडब्ल्यू के प.न. 39/287 कि.न. 1 ता 25 मय गैरमुमकिन कुल तादादी 6.325 है0 भूमि प्रार्थीगण/अपीलांट की हिस्से तक की कृषि भूमि को रहन बैय न करने तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। जबकि अपीलांट द्वारा समस्त भूमि मे से अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि के संबंध मे रहन बैय एवं कब्जा काश्त मे हस्तक्षेप नही करने बाबत अनुतोष चाहा गया था। चूंकि उक्त अपीलाधीन आदेश अन्तरिम है। अपीलांट द्वारा अपने कब्जा काश्त के संबंध मे गिरदावरी आदि प्रस्तुत की गई थी तथा अपीलांट के कथनानुसार रेस्पो0 सं. 1 ता 7 अपीलांट को उसके कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते है तथा उक्त भूमि की मौका की

यथास्थिति कायम किया जाना उचित है। ताकि स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति कायम रह सके। इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों मे अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्थगन प्रार्थना पत्र मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए 2 माह मे प्रकरण का निस्तारण करें तथा अधीनस्थ न्यायलय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2017 मे आंशिक संशोधन किया जाता है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 7 प्रकरण का निस्तारण होने तक चक 4 एलजीडब्ल्यू बी के प.न. 43/291 मु.न. 27 के कि.न. 1 ता 25 व प.न. 42/291 मु.न. 28 कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 व चक 6 एलजीडब्ल्यू के प.न. 39/287 मु.न. 28 कि.न. 1 ता 25 तथा चक 7 एलजीडब्ल्यू ए के प.न. 39/287 मु.न. 28 के कि.न. 1 ता 25 कुल 90 बीघा मे अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि मे हस्तक्षेप नही करें तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय पीलीबंगा के समक्ष दिनांक 15.12.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ